(146) (20)

माननीय न्यायालय -- श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय रीवा, सर्किट कोर्ट जिला रीवा, (मध्यप्रदेश)

---

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 40/-

R5450 II/16

निगरानीप्रकरण क्रमांक - - - - - - - - - - - -

जटाशंकर मिश्र तनय श्री भागवत प्रसाद मिश्र, आयु साल, निवासी गान्धीनगर कोटहा सीधी, थाना कोतवाली सीधी, नगर पालिका क्षेत्र सीधी, तहसील - गोपदबनास, जिला सीधी म०प्र० ------ निगरानीकर्ता

अधि० श्री विवेक शर्मा द्वारा प्रस्तुत 05-10-16

बनाम

1. पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह पिता स्वर्गीय श्री सूर्यनारायण सिंह, सा० सिविल लाइन कोतरकला सीधी, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी, ---- उत्तरवादी/आवेदक
2. मध्यप्रदेश शासन ----- उत्तरवादी/अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी म०प्र० के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक- 25/अ-5/2004-2005 में पारित आदेश दिनांक 31.5.2005,

---

निगरानी अन्तरगत धारा-50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता,

मान्यवर,

"" प्रकरण के तथ्य ""

(1)- यह कि, प्रकरणके संक्षिप्त तथ्य माननीय न्यायालय में इस प्रकार से प्रस्तुत हैंकि ग्राम करौंदिया उत्तरटोला, जनरल नं०-84 तहसील गोपदबनास जिला सीधीम०प्र० में स्थित आराजी खसरा क्रमांक105/2 जुज 0.040$\frac{1}{3}$ हैक्टेयर के भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी राजभान सिंह वगैरह दर्ज राजस्व अभिलेख थे। उक्त भूमि का विक्रय उक्त भूमिस्वामियों के द्वारा कई लोगो को विभिन्न तिथियों को किये गये, तथा विक्रय वयनामों का निष्पादन व पंजीयन कराया गया।

(20)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

5450 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 5460 II 116 .... जिला सीधी

जटाशंकर मिश्रा .... विरूद्ध पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री विवेक शर्मा .... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ ~~नायब तहसील~~दार तहसील............ के प्रकरण क्रमांक 25/अ-5/2004-2005 ...... में पारित आदेश दिनांक 31-03-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी .... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-3-19 .... को कलेक्टर सीधी .... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

~~उक्त भूमिस्वामियों के द्वारा कई लोगों को विभिन्न तिथियों को किये गये, तथा विक्रय वयनामों का निष्पादन व पंजीयन कराया गया।~~